निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:-70/2019

दायरा दिनांक:- 28.11.2019

निर्णय दिनांक:-31.03.2022

उनवान

हेमराज पुत्र मांगीलाल जाति अहीर निवासी मोठपुर तहसील बारां

बनाम

1. गिर्राज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी मोठपुर तहसील बारां
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक:- 31-03-2022

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम मोठपुर तहसील बारां के खसरा नंबर 45 रकवा 2.10 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 55 रकवा 1. 55 हेक्टेयर कुल 2 किता रकबा 3. 65 हेक्टेयर भूमि स्थित है प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता प्रारंभ से ही प्रतिवादी की आराजी खसरा नंबर 46,47 ,49 व सरकारी कुआं खसरा नंबर 50 की मेड पर होकर रहा है प्रार्थी अपनी आराजी में आने लाने लेजाने के लिए प्रारंभ से ही उपरोक्त खेत की मेड से होकर ही अपने खेत में आ जा रहा है तथा रास्ते के रूप में उपभोग करता चला आ रहा है प्रार्थी के खेत पर जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा यदि किसी काश्तकार के खेत पर जाने के लिए कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है तो वह समीपवर्ती काश्तकार की मेड पर होकर नियमानुसार राशि जमा करवाकर रास्ता कायम करवा सकता है उक्त रास्ता गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज होगा।

प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए खसरा नंबर 46, 47 व 49 एवं सरकारी कुआं खसरा नंबर 50 की मेड पर होकर रास्ता है तथा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए नहीं है इस कारण प्रार्थी आराजी खसरा नंबर 46 ,47 ,49 एवं सरकारी कुआं खसरा नंबर 50 की मेड पर होकर रास्ता कायम करवाने का अधिकारी है इसके लिए प्रतिवादी के खाते की जितनी भूमि जाएगी उस भूमि की नियमानुसार डीएलसी अनुसार प्रार्थी प्रतिवादी को राशि अदा करने को तैयार है विकल्प में प्रार्थी प्रतिवादी को भूमि के बदले भूमि देने को भी तैयार है प्रार्थी सदैव इस रास्ते से आते जाते हैं तथा अपने खेत में कृषि यंत्रों को लाने लेजाने फसल कटाई व अन्य कृषि कार्य करने के लिए उपरोक्त मेड पर बने रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं परंतु प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30-10-2019 को उक्त मेड को नष्ट करने का तथा प्रार्थी का रास्ता बंद करने का प्रयास किया यदि उक्त रास्ता प्रतिवादी द्वारा बंद कर दिया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थी की जमीन पडत रह जाएगी जिससे उसके सामने भूखा मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अंतिम रूप से बाद कारण दिनांक 30-10-2019 को उत्पन्न हुआ प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए सम्मन्न तलब किया गया प्रतिवादी क्रम एक की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 162, नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर तहसील बारां संवत 2073 से 2006 खाता संख्या 32 पेश की

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

गई नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मोठपुर पेश किया गया , नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 1 पेश कि गई।

बहस अभिभाषक उभयक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भोगपुर तहसील बारां में स्थित है प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 46 ,47 व 49 एवं सरकारी कुआं खसरा नंबर 50 की मेड पर होकर है प्रार्थी अपनी आराजी में कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए प्रारंभ से ही उक्त आराजी कि मेंड से होकर आते जाते रहे हैं प्रार्थी को अपने खेत की भूमि पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी खसरा नंबर 46, 47 व 49 की भूमि की मेड पर होकर रास्ता चाहते हैं जिसके बदले में वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियमानुसार डीएलसी के आधार पर प्रार्थी प्रतिवादी गण को राशि अदा करने को तैयार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को नियमानुसार खसरा नंबर 46 ,47 व 49 की मेड पर होकर रास्ता कायम किया जाए जिससे प्रार्थी को आने-जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि प्रार्थी के खसरा नंबर 46 ,47 व 49 एवं सरकारी कुआं पर वह मेड पर होकर प्रार्थी का कभी कोई रास्ता खेत पर जाने का नहीं रहा है तथा ना ही वर्तमान में प्रार्थी प्रतिवादी के खेत की मेड पर होकर निकलता है प्रार्थी का हमेशा से ही रास्ता कांतिबाई पुत्री जगन्नाथ गोवर्धन लाल पुत्र मोतीलाल के खेत की मेड पर हो कर रहा है क्योंकि प्रार्थी को हमेशा कांति व गोवर्धन के खेत के बीच स्थित मेड पर होकर निकलता देखा है वह अपने कृषि यंत्र व फसल को तैयार करके उसी मेड से होकर अपने घर से आता जाता है तथा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्य अंकित करवा कर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है प्रार्थी हरि मोहन पुत्र जानकीलाल गिर्राज पुत्र लक्ष्मी नारायण के खेत के बीच की मेड पर होकर निकलता चला आ रहा है केवल मात्र राजेश [illegible] नबर 46, 47 व 49 की मेड पर होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उदय पक्ष कारण सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 162 हेमराज पुत्र मांगीलाल जाति अहीर के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 32 में गिरराज पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति अहीर के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर खाता संख्या एक संवत 2073 से 2076 के अनुसार राज सरकार के खातेदारी में दर्ज है उक्त रास्ते से संबंधित रिपोर्ट तहसीलदार बारां से प्राप्त की गई तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मोपुर की आराजी खसरा नंबर 45 व 55 में जाने का रास्ता चाह रहा है वादी द्वारा प्रारंभ से ही रास्ता खसरा नंबर 46 ,47 ,49 एवं सरकारी खसरा नंबर 50 की मेड पर होकर जाना बताया है जबकि मौके पर किसी भी प्रकार के रास्ते संबंधी निशानात खसरा नंबर 46 ,47, 49 की मेड पर नहीं है और मौके पर तीनों खसरा नंबरों की मेड मिलाकर एक ही चक के रूप में काश्त की जा रही है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 46, 47 व 49 के खातेदार गिर्राज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी के रास्ते हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है इसलिए प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नंबर 45 पर पहुंचने हेतु राजस्व ग्राम मोठपुर की आबादी में बने रास्ते से होकर राजकीय भूमि खसरा नंबर 50 ,51 की मेड से होकर खसरा नंबर 46 ,47 व 50 की मेड से दिया जा सकता है प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 46 ,47, 49 मौके पर आबादी भूमि में बने रास्ते के मध्य राजकीय भूमि खसरा नंबर 50 ,51 की राजकीय भूमि आती है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को खसरा नंबर 46 ,47 ,49 की मेड पर होकर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को खसरा नंबर 46 ,47 ,49 की भूमि की मेड पर होकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी ग्राम मोठपुर तहसील बारां के खसरा नंबर 46, 47 ,49 की मेड़ पर होकर प्रार्थी को 20 फीट का रास्ता कायम किया जाता है उक्त रास्ते के बदले प्रार्थी को वर्तमान डीएलसी की दर की दोगुना राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावे तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि का भुगतान खसरा नंबर 46 ,47, 49 के खातेदारान को किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्यांशु शर्मा
आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner